कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण, (आत्मा),पूर्णियाँ

विकास भवन,समाहरणालय,पूर्णियाँ

पत्रांक /आत्मा

प्रेषक,

परियोजना निदेशक
आत्मा पूर्णियाँ ।

सेवा में,

1 प्रखंड कृषि पदाधिकारी (पूर्णियाँ पूर्व, धमदाहा, भवानीपुर, रूपौली एवं बनमनखी)
२ अध्यक्ष कृषक सूचना सलाहकार केन्द्र, पूर्णियाँ (पूर्णियाँ पूर्व, धमदाहा, भवानीपुर, रूपौली एवं बनमनखी)

दिनांक............ नवम्बर 2014

विषय— कृषि के संबंद्ध क्षेत्रों में प्रत्यक्षण आयोजन हेतु क्रियान्यनवन अनुदेश के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध मे सूचित करना है कि आत्मा के अनुमोदित कार्ययोजना के अन्तर्गत चयनित गाँवों में समूह बनाकर प्रत्यक्षण कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाना है । प्रत्यक्षण का उद्देश्य **"समेकित कीट पोषक तत्वों एवं कीट व्याधि प्रबंधन द्वारा जैविक सब्जी एवं केला उत्पादक"** को प्रोत्साहित करना है । प्रखंडवार चयनित गाँवों में लक्षित संख्या के अनुरूप समूह गठन कर उसका निबंधन आत्मा कार्यालय से एक सप्ताह के अंदर करना अनिवार्य है । निबधित समूहों के सदस्य ही चयनित कृषक होगें । अत. यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि समूह के सदस्य के रूप में अत्यंत जागरूक , क्रियाशील एव सक्षम कृषक हो ।समूहों के सदस्यों को प्रत्यक्षण हेतु पूर्व से चिन्हित एवं अनुमोदित उपादान प्रखंड में निर्धारित तिथि में शिविर में उपस्थित विक्रेताओं से अपने पसद के अनुरूप नगद क्रय करने होगें एवं क्रय किए गए उपादानों का अभिश्रव प्राप्त कर उन्हें उसी दिन एकाउन्ट पेयी चेक अथवा समूह के खाते या समूह के सदस्यों के नीजी खाते में RTGS के माध्यम से भुगतान किया जाना है ।

इस कार्य में आप चिन्हित गाँवों के कृषक सन्वयक एवं सलाहकार को निर्देशित कर अपेक्षित सहयोग प्राप्त करेंगे । प्रखंडवार चिन्हित गाँवों , लक्ष्य , समूह एवं उपादान का विस्तृत विवीरणी अलग से संलग्न किया जा रहा है । साथ ही निम्न बातों पर ध्यान देना सुनिश्चित करें ।

1. उपस्थित विक्रेताओं के द्वारा शिविर मे लगाये गए उपादानों का भंडार सत्यापन अवश्य करेंगे ।
2. उपस्थित विक्रेताओं के द्वारा वैध अनुज्ञप्ति , टिन संख्या, निर्माता कंपनी द्वारा निर्मित्त उत्पाद का प्राधिकार पत्र एव निदेशक कृषि, बिहार, पटना से बिक्री अनुमति का सत्यापन अवश्य करे ।
3. प्रत्येक विक्रेताओं से बिक्री किये जानेवाले उपादानों का 01–01 नमूना संग्रह कर आवश्यक रखे ताकि उसे गुणवत्ता की जाँच हेतु भेजा जा सके ।
4. विक्रेताओं द्वारा आत्मा के वेबसाइट पर पूर्व से प्रदत्त एवं जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षा में आयोजित बैठक में उनके द्वारा प्रस्तुत मूल्य से अधिक का अभिश्रव नही हो । प्रत्येक प्रदत्त दवा, उर्वरक में अंकित बैच का , अभिश्रव पर अवश्य हों ।

अनुलग्नक :– समूहों की उपलब्ध सूची । कृषकी की सूची (अनुमोदित)
जिला द्वारा प्रदत्त मूल्य सूची।
प्रखंडवार आयोजित शिविर की निर्धारित तिथि।

विश्वासभाजन

ह0/–
परियोजना निदेशक
आत्मा, पूर्णियाँ ।

ज्ञापांक....335.... दिनांक....15/07/14

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड प्रमुख को सादर सूचनार्थ प्रेषित। एव अनुरोध है कि प्रत्यक्षण सामग्री अपने देख–रेख वितरण कराने की कृपा की जाय ।

प्रतिलिपि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (सभी प्रखंड) को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष आत्मा पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सचिव सह राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

परियोजना निदेशक
आत्मा, पूर्णियाँ ।